न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-92/2007

1-माडूराम पुत्र मालाराम
2-सीताराम पुत्र मालाराम
3-धापली स्त्री मालाराम

जाति सैनी निवासी ढाणी डूंगरीवाली तन मावण्डा कंला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ।

---अपीलान्टस---

---बनाम---

1- गोकूलचन्द पुत्र सुगनाराम
2- रामजीलाल पुत्र देबूराम
3- प्रकाश पुत्र रामजीलाल

जाति सैनी निवासी [illegible] मावण्डा कला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ।

--रेस्पोडेन्टस---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 16-5-2007 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ।
---0---

उपस्थिति-

1- श्री लक्ष्मणसिंह लूण्डा एडवोकेट- अपीलान्ट

2- श्री सोहनलाल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 23.3.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलान्टस ने योग्य अदालत मातहत में दावा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 637/2 रकबा 1.20 हैक्टर ग्राम जाटाहाला का खातेदार वादीगण का पिता/पति मालाराम था जिसका देहान्त होने के बाद इस आराजी के काबिज खातेदार काश्तकार वादीगण है ।प्रतिवादी गण का इस आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है । प्रतिवादीगण जबरन इस

जबरन कब्जा करने पर आमादा है । जिसके लिये यह दावा पेश किया गया । अदालत मातहत ने वादीगण का दावा बाद सुनवाई खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। अदालत मातहत ने दावे में तनकीयात कायम की किन्तु अपना निर्णय तनकीवाईज पारित न कर आदेश-20 नियम-5 सीपीसी की कोई पालना नहीं की ।उक्त विवादित आराजी अपीलान्ट को उनके पिता/पति से विरासत में प्राप्त हुई है जिस पर अपीलान्ट काबिज काश्तकार दर्ज हैं ।राजस्व रेकार्ड में माला के नाम दर्ज है ।ख0नं0 637 की तरमीम होकर ख0नं0 637/1 अंकित हुआ है जो बाद में तरमीम होकर 637/1/1 व 637/1/2 दर्ज हुआ है । नक्शे में ख0नं0 637/2 दिखाये बिना अन्य ख0नं0 637/1/1, 637/1/2 आदि दिखाया जाना सम्भव नहीं है। रेस्पोडेन्ट ने मौके के विपरित नक्शा में ट्रेस करवाकर प्रस्तुत किया है जो मानने योग्य नहीं है । अदालत मातहत ने अपने निर्णय में यह माना है कि अपीलान्ट की आराजी ख0नं0 637/2 व ख0नं0 637/1/1 की भूमि आपस में मिली हुई है तथा उन्हीं से लगी हुई आराजी ख0नं0 637/1/2 है। अदालत द्वारा बिना मौका निरीक्षण किये आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित है ।अदालत मातहत ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।तथा वादी का दावा डिक्री किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अदालत मातहत ने दावे में तनकीयात कायम की है किन्तु प्रत्येक तनकी वाईज निर्णय नहीं किया है। राजस्व रेकार्ड हमारे नाम

अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर बिना गौर किये अपना निर्णय दिया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर दावा डिक्री किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत ने सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद अपना निर्णय पारित किया है ।ख0नं0 637 का रकबा बहुत बडा है। जिसमें मेरी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बन 637/1/2 की तरमीम हुई हो रखी है । अपीलान्ट की भूमि की नक्शे में कोई तरमीम नही है। वादीगण/अपीलान्ट ने यह साबित नहीं किया कि विवादित खसरा नं0 637 में उसका कब्जा कहा है । अदालत मातहत ने सभी तथ्यों पर मनन करने के बाद अपना निर्णय पारित किया है । अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । ख0नं0 637/1/2 रकबा 2.53 हैक्टर की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में रामजीलाल पुत्र देबूराम के नाम दर्ज है । प्रदर्श-6ए नक्शा में ख0नं0 637/1/2 व 637/1/1 की नक्शे में तरमीम की हुई है ।प्रदर्श-7 में ख0नं0 637/2 रकबा 1.20 हैक्टर की खातेदारी राजस्व रेकार्ड से मालाराम के नाम दर्ज है यह पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं राजस्व रेकार्ड से साबित है ।अदालत मातहत ने दावे में कुल 5 तनकीयां कायम की है किन्तु अपना निर्णय तनकीवाईज पारित नहीं किया जबकि आदेश-20 नियम-5 सीपीसी के अनुसार न्यायालय को तनकीयात कायम करने पर प्रत्येक तनकीवाईज निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है ।अतः हम न्यायहित में प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं कि वह प्रकरण में कायम की गई तनकीयों का निर्णय करते हुये दावे का निर्णय पुनः पारित करें ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16-5-2007 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह अपना निर्णय तनकीवाईज पारिते करते हुये दावा का निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 7-5-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.3.2018 को सुनाया गया ।

23/3/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर